<u>दिनांक 15.09.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। राज्य की ओर से विद्वान नामित अधिवक्ता श्री रविन्द्र सिंह रावत उपस्थित। अभियुक्त की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 55ब द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद चमोली प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में आज के लिये स्वीकृत।

पत्रावली आज शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन साक्षी पीडब्ल्यू–11 का साक्ष्य अंकित किया गया।

साक्षी उपनिरीक्षक किशन दत्त शर्मा को साक्ष्य हेतु निरंतर समन प्रेषित किये गये हैं। उक्त साक्षी आज भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। उक्त साक्षी के विरूद्ध धारा 350 दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस जारी हो।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 26.09.2023 को पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब हो। पैरोकार नोट करे।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।